



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2016/माघ 20, 1937

No. 358]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2016/MAGHA 20, 1937

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

**का.आ. 418(अ).**- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनु रूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

#### तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
333	717 ए	पश्चिम बंगाल राज्य में बागराकोट में नई रारा सं.17 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रेनोक, पाकियोंग को जोड़ते हुए और सिक्किम राज्य में गंगटोक के निकट नई रारा सं.10 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
334	717 बी	सिक्किम राज्य में रेनोक में रारा सं.717 ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अरिताल, रोलेप को जोड़ते हुए और मेनला के निकट रारा सं.310 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/39/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

**पाद टिप्पणः** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1031 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2016

**S.O. 418(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

**TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
333	717A	The highway starting from its junction with new NH No. 17 at Bagrakot connecting Rhenok in the State of West Bengal, Pakyong and terminating at its junction with new NH No. 10 near Gangtok in the State of Sikkim.
334	717B	The highway starting from its junction with NH No. 717A at Rhenok connecting Aritar, Rolep and terminating at its junction with NH No. 310 near Menla in the State of Sikkim.

[F. No. NH-14012/39/2015-P&M]  
MAYA PRAKASH Director (P&B)

**Footnote:**-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031 (E), dated 17<sup>th</sup> April, 2015.